

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामगुलाम वर्मा पुत्र रामप्रसाद वर्मा नि० महंगीपुरवा महादेवा कला थाना खरगपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-42/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुब्बन पुत्र लखराज नि० सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-39/21, 02. राजू पुत्र धर्मराज सोनकर नि० पंडितपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-41/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. तिलकराम पुत्र नागेश्वर नि० खाले झंझरी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-107/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाबालिग के साथ छेडछाड करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय नि० इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक में पंजीकृत मु०अ०सं०-34/21, धारा 354बी० भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2021 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को पारासराय चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कलीम पुत्र मुजीम नि० धर्मेइ थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-42/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10/11.02.2021 की रात्रि थाना इटियाथोक के उ०नि० सत्य नारायण यादव मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम धर्मेइ ईदगाह के पास में उक्त व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । अभियुक्त को थाना इटियाथोक में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सत्य नारायण यादव ।
02. हेड का० आदित्य नाथ यादव ।
03. का० पटेल राय ।
04. का० संजीव वर्मा ।